<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>20/12/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय ने भारत एकीकृत सामाजिक कल्याण एजेंसी (बिस्वा) के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 18.12.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ओडिशा और दिल्ली में 04 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने ईओडब्ल्यू, ओडिशा पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि बिस्वा को खिरोद चंद्र मलिक द्वारा चलाया जा रहा था और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता फर्मों (जेएलएफ) को वित्तपोषित करने की आड़ में, खिरोद चंद्र मलिक ने फंड का दुरुपयोग किया और जनता से जमा भी स्वीकार करना शुरू कर दिया, जिसकी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति नहीं थी। यह भी पता चला है कि यह समूह 200 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी में भी शामिल था। तलाशी के दौरान व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 505 संदिग्ध बेनामी खाते और उनसे संबंधित हस्ताक्षरित और हस्ताक्षर रहित चेक बुक भी बरामद की गईं।

तलाशी के परिणामस्वरूप, इन 505 विभिन्न बैंक खातों में पड़ी 72 लाख से अधिक की राशि को फ्रीज कर दिया गया है और इसके अलावा, 10 लाख रुपये के शेयर बरामद किए गए हैं और बिक्री विलेख, चेक बुक और डिजिटल डिवाइस जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ उन्हें जब्त कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।